



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

11/40/311.19 के

दिनांक 23 अक्टूबर 19

प्रेषक,

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

विषय :-

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत आपके जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समूहों के सदस्यों एवं सिविल सोसाइटी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत दरभंगा जिला में दिनांक-06/11/2019 से 15/11/2019 तक समीक्षा/जागरूकता बैठक एवं परिवाद की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया जाना है। उसी क्रम में विभिन्न प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजनों की बैठक प्रखण्ड पदाधिकारियों के साथ किये जाने की आवश्यकता है।

धारा-72 के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर स्थानीय समूह बनना है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (ZC, Section-2) 21 प्रकार के दिव्यांग में से कम से कम 5 प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे-पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी0आर0पी0, सेविका, ए0एन0एम0 कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे - मुखिया, सरपंच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्ता आदि के साथ पंचायत स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है। उसी समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखण्ड स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है, जिसमें प्रखण्ड स्तर के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे (इससे सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न किया गया है)। प्रखण्ड स्तर की दिव्यांगजन समूह की बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता स्वयं भाग लेंगे।

अतएव प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजनों के समूह का गठन से सम्बन्धित विषय पर जिले के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ दिनांक-06/11/2019 से 15.11.2019 को बैठक हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता की कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

क्र० सं०	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	05/11/2019 (मंगलवार)	04:00 PM से	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क का सभाकक्ष	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी
प्रथम दिन					
2.	06/11/2019 (बुधवार)	07:00 AM से 10:00 AM	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति हेतु समीक्षात्मक बैठक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- (1) उप विकास आयुक्त (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (3) उप समाहर्ता, प्रभारी बैंकिंग (4) उप पुलिस अधीक्षक (5) अपर समाहर्ता (6) अनुमण्डल पदाधिकारी (7) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (8) असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (9) श्रम अधीक्षक (10) उप समाहर्ता, जिला आपदा, प्रबंधन/प्राधिकरण (11) जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी (12) जिला पशुपालन पदाधिकारी (13) डी०आर०डी०ए० (14) जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (15) जिला नियोजन पदाधिकारी (16) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल (17) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) (18) जिला कल्याण पदाधिकारी (19) जिला शिक्षा पदाधिकारी (20) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग (21) जिला आपत्ति पदाधिकारी (22) जिला परिवहन पदाधिकारी (23) जिला अभियंता, जिला परिषद (24) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (25) जिला कृषि पदाधिकारी (26) जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी (27) जिला खेल-कूद पदाधिकारी (28) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनु०लो०शि० निवा० पदा० (29) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद (30) जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (31) निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (32) कारा अधीक्षक (33) जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (34) भूमि सुधार उप समाहर्ता (35) जिला पंचायती राज पदाधिकारी (36) सहायक निदेशक, जिला बाल सुरक्षण इकाई (37) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक (38) जिला प्रबंधक, "जीविका" (39) जिला प्रबंधक, "बनियाद केन्द्र" (40) जिला हेड, ग्राहकी सेवा केन्द्र (CSC)	जिला सभागार	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		10:00 AM बजे से 01:00 PM बजे तक	लौड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रांतोनाधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला बैंकिंग उप समाहर्ता (एल०डी०एम० बैंकिंग) (2) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (3) जिला अन्तर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक	समाहरणालय सभागार	उप समाहर्ता, प्रभारी (एल०डी०एम० बैंकिंग)
3.	06/11/2019 (बुधवार)	02:00 PM बजे से 02:30 PM बजे तक भोजनावकाश			
		02:30 PM बजे से 04:00 PM बजे तक	UDID कार्ड की तैयारी/असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेंबर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी०एच०सी० स्तर के क्लर्क/सहायक के साथ बैठक।	सदर अस्पताल	एस०डी०सी० (स्वास्थ्य सेवा)/असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
		04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक जैसे-संसाधन शिक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, संकुल शिक्षक, बुनियाद केन्द्र से सम्बद्ध पदाधिकारी।	शिक्षा विभाग सभाकक्ष	विकास आयुक्त

		01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
		02:00 PM से 02:30 PM बजे तक	अन्य पंचायत में बैठक के लिए प्रस्थान		
		02:30 PM बजे से 03:30 PM बजे तक	दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक		
नवम दिन					
12.	15/11/2019 (शुक्रवार)	08:00 AM बजे से अंतिम निष्पादन तक	ब्लॉक लेवल बैठक-सह-दिव्यांगजनों की बैठक एवं समस्याओं की सुनवाई तथा निराकरण	जाले प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य आयुक्त निःशक्तता राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

अतः जिला पदाधिकारी, दरभंगा से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ राज्य आयुक्त निःशक्तता हेतु जिला परिसदन का दो कमरा आरक्षित करने एवं भोजन की व्यवस्था तथा इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक 23 अक्टूबर '19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक 23 अक्टूबर '19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक 23 अक्टूबर '19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि दिनांक-06.11.2019 से 15.11.2019 तक राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्काॅट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा व्यवस्था हेतु आपके नियुक्त नोडल पदाधिकारी द्वारा कृपया राज्य आयुक्त निःशक्तता के निजी सहायक का मोबाइल नम्बर 7870956603 पर सूचित एवं सम्पर्क स्थापित करने की कृपा की जाय।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक 23 अक्टूबर '19

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

1140/आ.नि.के

दिनांक 23 अक्टूबर '19

प्रतिलिपि:-दरभंगा जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं बैठक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त बैठक में भाग लेने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने स्तर निर्देशित करने के साथ-साथ राज्य आयुक्त निःशक्तता हेतु सुरक्षा/स्कॉट की भी व्यवस्था कराने की कृपा की जाय।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

1140/आ.नि.के

दिनांक 23 अक्टूबर '19

प्रतिलिपि:-दरभंगा जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय भाग लेने एवं चयनित दिव्यांगजन समूह की भागीदारी सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-05 (प्र0स्त0)/2019

1140/आ.नि.के

दिनांक 23 अक्टूबर '19

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, दरभंगा को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक-06.11.2019 से 15.11.2019 तक समीक्षा बैठक सुनिश्चित करते हुए इसके सफल संचालन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही यह भी अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता हेतु उक्त कार्यक्रम के दौरान जिला परिसदन का दो कमरा आरक्षित करने एवं भोजन की व्यवस्था तथा इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।